



2026:AHC:18115

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 867 वर्ष 2026

आर्यन यादव

.....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और 2 अन्य

.....प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: प्रमोद कुमार

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता

: ए.एस.जी.आई.

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार और प्रतिपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. मिश्रा (एओआर संख्या ए/एस 1708 वर्ष 2012) की बात सुनी।
2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उसने अग्निवीर के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसे कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी गई है।
3. प्रतिपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता को दिनांक 24.12.2025 को जारी किया गया दूसरा कारण बताओ सूचना प्रस्तुत किया है, जिसमें याचिकाकर्ता से यह उत्तर देने को कहा गया है कि नियुक्ति रद्द क्यों न की जाए।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यदि आपत्ति दर्ज नहीं की गई है तो याचिकाकर्ता इस पर आपत्ति दर्ज करेगा।
5. यदि ऐसी कोई आपत्ति उठाई जाती है, तो न्यायालय के पास यह अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि उसका निर्णय कानून के अनुसार ही किया जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. पूर्व टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।
7. आज दाखिल किए गए निर्देशों को अभिलेख में दर्ज कर लिया गया है और परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित किया गया है।

27 जनवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)